कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग।

–: आम सूचना :–

एत्द द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चौपारण प्रखण्ड अन्तर्गत महाराजगंज बाजार से चुंगी वसूली हेतु बन्दोबस्ती वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 26/02/2020 को 3:00 बजे अपराहन् में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग के सभागार में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जायगी। नियम एवं शर्ते तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा Web Site-www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

जो व्यक्ति बन्दोबस्ती में भाग लेना चाहते है, वे निम्नलिखित **श**र्तों का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय पर डाक में भाग ले सकते है।

–: **श**र्ते :–

1. बन्दोबस्ती वर्ष 2020–21 (एक वर्ष) के लिए की जायगी।
2. डाक बोलने वाले को डाक में भाग लेन के इस वर्ष की सुरक्षित जमा रा"ि 6,20,000.00 (छः लाख बोस हजार) रूपये का पन्द्रह प्रति"ात 93,000.00 (तिरानवे हजार) रूपये जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. उच्चतम बोली द्वारा निर्धारित रा"ि पर बंदोबस्तधारी को सरकार द्वारा निर्धारित GST अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
4. असफल जमाकर्त्ताओं की जमानत की रा"ि डाक समाप्ति के तुरंत बाद वापस कर दी जायगी।
5. जिन व्यक्तियों के पास इस बंदोबस्ती से संबंधित पूर्व में कोई बकाया राशि है तो वे डाक में भाग लेने के पूर्व बकाया राशि जमा करेंगे, अन्यथा उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
6. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र/पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा तथा मूल कागजात साथ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. बन्दोबस्तधारी के द्वारा बाजार से चुंगी को वसूली पूर्व निर्धारित दर के आधार पर किया जायेगा।
8. बन्दोबस्तधारी द्वारा सभी "ार्तो को पूरा करने की स्थिति में निबंधित एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के पश्चात् चुंगी वसूली का आदे"ा निर्गत किया जायगा।
9. बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की पूर्ण रा"ि की 50 प्रति"ात रा"ि बन्दोबस्ती के तुरंत बाद तथा अव"ोष रा"ि को तिमाही किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. डाक की सुरक्षित जमा रा"ि 6,20,000.00 (छः लाख बीस हजार) रूपये है।
11. निर्धारित निबंधन एवं एकरारनामा स्टाम्प "ाुल्क की राशि बन्दोबस्तधारी को स्वंय वहन करना होगा।
12. बाजार की प्रतिदिन साफ–सफाई, "ाौचालय सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य आव"यक कार्य बन्दोबस्तधारी को ही सम्पादित करना होगा।
13. बिना कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त,
–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, हजारीबाग।